उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 01.03.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रतिदिन की भाति पुलिस कार्यालय, महोबा में जनतादर्शन में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 01.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को सचेत किया गया कि जनसुनवाई को और अधिक प्रभावशाली बनाये ताकि पीड़ित/शिकायतकर्ता को अनावश्यक रुप से अपने थाने से इतनी दूर पुलिस कार्यालय आने की आवश्यकता न हो, साथ ही सभी प्र0नि0/थानाध्यक्ष को यह भी निर्देश दिये गये कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है उन सभी समस्याओं का समाधान थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना से वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 159.220 ग्राम पीली धातु (आभूषण) बरामद ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में चोरी व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 01.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित की गयी टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी । थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2023 धारा 457/380/411/120बी भादवि में जांच के दौरान प्रकाश में आये सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त राहुल टाटोबा खम्बलकर पुत्र टाटोबा खम्बलकर उम्र करीब 25 वर्ष को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अदद ठोस धातु पीले रंग की वजन करीब 159.220 ग्राम बरामद करते हुए देवा गलाई मु0 कोटबाजार थाना राठ जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राहुल टाटोबा खम्बलकर पुत्र टाटोबा खम्बलकर निवासी बिट्ठलपुर थाना आटापाडी जिला सांग्लि महाराष्ट्र उम्र करीब 25 वर्ष हाल पता मनोज कुमार के घर मे मु0 कोट बाजार थाना राठ जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र प्रताप सिंह 2. का0 मुकेश सिंह
3. का0 कुबेर सिहं 4. का0 धर्वेन्द्र सिंह
5. म0का0 राखी सिंह 6. म0का0 रिचा वर्मा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 01.03.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में थानाध्यक्ष खरेला श्री यज्ञनारायण भार्गव द्वारा गठित टीम के उ0नि0 अजयपाल सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त जगभान यादव पुत्र स्व0 राम चरन यादव उम्र करीब 39 वर्ष निवासी ग्राम पाठा थाना खरेला जनपद महोबा को पहरेथा जाने वाली पक्की सड़क मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद बोरी में 22 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 21/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अजयपाल सिंह
2.कां0 चन्दन सिंह
3.कां0 हरिप्रताप सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

जगभान यादव पुत्र स्व0 राम चरन यादव उम्र करीब 39 वर्ष ग्राम पाठा थाना खरेला महोबा

बरामदगी-

एक अदद बोरी में 22 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज

7.मु00सं0 1349/13 धारा 354डी/506 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर

तृतीय अभियुक्त अन्नी उर्फ अनिल सोनी पुत्र केशव प्रसाद सोनी का अपराध विवरण

1.मु0अ0सं0 78/23 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
2.मु0अ0सं0 23/2021 धारा 120बी/195 थाना राठ हमीरपुर
3.मु0अ0सं0 40/16 धारा 319ए) क्रिमिनल ला(अमेन्डमेन्ट एक्ट) व 147/149/341 भा.द.वि. थाना राठ
4.मु0अ0सं0 402/2018 धारा 143/188 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर
5.मु0अ0सं0 601/2012 धारा 307/504 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमरीपुर
6.मु0अ0सं0 934/2013 धारा 13 जी एक्ट थाना राठ जिला हमीरपुर
7.मु0अ0सं0 1015/13 धारा 323/354बी/376/504/506 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर

चतुर्थ अभियुक्त वसीम पुत्र समीम का अपराध विवरण-

1.मु0अ0सं0 78/23 धारा 457/380/411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर महोबा
2.मु0अ0सं0 224/2015 धारा 308/323/452/504/506 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर हमीरपुर
3.मु0अ0सं0 1110/13 धारा 147/387/504/506 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर हमीरपुर
4.मु0अ0सं0 1296/13 धारा 323/325/354/354बी/376/452/504/506 भा.द.वि. थाना कोतवाली हमीरपुर
5.मु0अ0सं0 250/12 धारा 354/504/506 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर
6. मु0अ0सं0 408/12 धारा 307/354/395/397 भा.द.वि. थाना राठ जिला हमीरपुर

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 01.03.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एंव शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **01.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एंव अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **60** ई-चालान किये गये।